हिमाचल प्रदेश चौदहवीं विधान सभा

कार्यसूची

षष्टम् सत्र

शुक्रवार, 30 अगस्त, 2024/8 भाद्रपद, 1946(शक्)

11.00 बजे (पूर्वाह्न)

1. प्रश्नोत्तर:

(1) तारांकित :

(i) स्थगित	}	पृथक सूचियों में मुद्रित प्रश्न पूछे जाएंगे तथा उनके उत्तर दिए जाएंगे ।
(ii) दिन के लिए		

(2) अतारांकित :

(i) स्थगित	}	पृथक सूचियों में मुद्रित प्रश्नों के उत्तर सभा पटल पर रखे जाएंगे।
(ii) दिन के लिए		

2. कागजात सभा पटल पर रखे जाएगें:

(1) **श्री हर्षवर्धन चौहान, उद्योग मन्त्री**, भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार (रोजगार के नियम एवं शर्तें) अधिनियम, 1996 की धारा 26 के अन्तर्गत हिमाचल प्रदेश भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण बोर्ड का 14वाँ वार्षिक प्रतिवेदन, वर्ष 2022-23 (विलम्ब के कारणों सहित), की प्रति सभा पटल पर रखेगें।

(2) **श्री जगत सिंह नेगी, राजस्व मन्त्री**, हिमाचल प्रदेश कृषि, बागवानी और वानिकी विश्वविद्यालय अधिनियम, 1986 (1987 का अधिनियम संख्या 4) की धारा 45 (4) के अन्तर्गत डा0 वाई0 एस0 परमार औद्यानिकी एवं वानिकी विश्वविद्यालय नौणी, सोलन का वार्षिक लेखा परीक्षा प्रतिवेदन, वर्ष 2016-17, 2017-18, 2018-19, 2019-20 एवं 2020-21 (विलम्ब के कारणों सहित), की प्रति सभा पटल पर रखेगें।

3. **सदन की समिति का प्रतिवेदन:**

श्री नन्द लाल, सभापति, कल्याण समिति, (वर्ष 2024-25), समिति का **25वाँ कार्रवाई प्रतिवेदन (चौदहवीं विधान सभा)** जोकि समिति का **48वाँ मूल प्रतिवेदन** (तेरहवीं विधान सभा) (वर्ष 2022-23) पर सरकार द्वारा कृत्त कार्रवाई पर आधारित तथा **सुनिश्चित रोजगार के लिए योग्यता बढ़ाने हेतु प्रशिक्षण योजना** व **सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग** से सम्बन्धित है, की प्रति सभा में उपस्थापित करेंगे तथा सदन के पटल पर रखेंगे।

4. **नियम-62 के अन्तर्गत ध्यानाकर्षण प्रस्ताव:**

(1) **श्री सतपाल सिंह सत्ती,** "हमीरपुर में नीट की कोचिंग ले रहे छात्र की पी0 जी0 (Paying Guest) की तीसरी मंजिल से गिरने के कारण हुई संदिग्ध मौत पर सदन का ध्यान आकर्षित करेंगे।"

(2) **श्री राकेश कालिया,** "मायादास सदन से चिन्तपुरनी मन्दिर के लिए बनाये जा रहे रज्जू मार्ग के कारण स्थानीय दुकानदारों के व्यवसाय में नुकसान होने पर सदन का ध्यान आकर्षित करेंगे।"

(3) **श्री बलबीर सिंह वर्मा,** "सैज-देहा चौपाल-नेरवा कुपवी सड़क के चाननी नाला के पास भूस्खलन से क्षतिग्रस्त होने पर सदन का ध्यान आकर्षित करेंगे।"

(4) **सुश्री अनुराधा राणा,** "भारी बरसात के कारण सिस्सू पुल के क्षतिग्रस्त होने पर सदन का ध्यान आकर्षित करेंगीं।"

5. (1) **नियम-130 के अन्तर्गत दिनांक 27.08.2024 को प्रस्तुत प्रस्ताव पर आगे चर्चा जारी रहेगी:**

"**प्रदेश में भारी बरसात/आपदा के कारण जनमानस, सड़कों, पुलों, घरों, फसलों, सरकारी भवनों, निजी भूमि, पेयजल व सिंचाई योजनाओं को हुए नुकसान** बारे यह सदन विचार करे।"

(2) **श्री त्रिलोक जम्वाल**
श्री बलबीर सिंह वर्मा
श्री सुख राम चौधरी
श्री राकेश जम्वाल
} प्रस्ताव करेंगे कि:

"**प्रदेश में बिगड़ती कानून व्यवस्था** पर यह सदन विचार करे।".

6. नियम-61 के अन्तर्गत आधे घण्टे की चर्चा:

श्री सुख राम चौधरी, "दिनांक 27 अगस्त, 2024 को उत्तरित तारांकित प्रश्न संख्या 1713 के उत्तर से उत्पन्न विषयों पर चर्चा करेंगे।"

शिमला-171004 (यशपाल शर्मा)
दिनांक: 29 अगस्त, 2024 सचिव।

****

(अनुपूरक कार्यसूची, यदि कोई हो, की भी जांच कर लें)